तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	[illegible] [illegible] राष्ट्रीय लोक अदालत [illegible] प्रस्तुत हुई [illegible]	

[illegible]

सदस्य
[illegible]
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या [illegible]

[illegible]
पीठासीन [illegible]
[illegible]
राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 95/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/181
दायर दिनांक :– 28.04.2025 निर्णय दिनांक :– 10.09.2025

1. रूपा पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
2. जगदीशप्रसाद पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
3. अनोपाराम पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
4. रेणु पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी
5. सोनिया पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी नोख तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित:– 1. श्री बुधाराम विश्नोई अधिवक्ता वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादीगण के नाम तालरिया में खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भूमि गैर खातेदारी की दर्ज है। उक्त भूमि ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 480 द्वारा खसरा नम्बर 1964/3339 भंवरलाल पुत्र सेठाराम जाति माली सा. देह उक्त आवटी को खातेदारी अधिकार दिये गये। ग्राम तालरिया गिरदावरी चौसाला सम्वत 2051 से 2062 में खसरा नम्बर 1964/3339 रकबा 75–00 बीघा भंवरलाल पुत्र सेठाराम जाति माली देह खातेदार दर्ज है गिरदावरी चौसाला 2063–2066 बनाते समय खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भंवरलाल पुत्र सेठाराम जाति माली खातेदार से गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया जो आज दिन तक गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 384 खसरा नम्बर 1964/3339 रकबा 75–00 बीघा भंवरलाल पुत्र सेठाराम जाति माली गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम नोख के नामान्तरकरण संख्या 450 खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भंवरलाल पुत्र सेठाराम फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण वारिसों रूपा पत्नी भंवरलाल, जगदीशप्रसाद, अनोपाराम पुत्र भंवरलाल, रेणु, सोनिया पुत्री भंवरलाल सभी जाति माली के नाम से गैर खातेदार दर्ज किया गया। वादीगण खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम तालरिया की गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059–2062 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1964/3339 रकबा 75–00 बीघा भंवरलाल पुत्र सेठाराम जाति माली के नाम से खातेदार दर्ज है। लेकिन गिरदावरी

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

चौसाला सम्वत 2063 से 2066 में भंवरला पुत्र सेठाराम जाति माली खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्रमा तालरिया के खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादीगण का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। चूंकि वादीगण के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी संख्या 3 अनोपाराम के बयान पी.डब्लू–1 एवं पडोसी खातेदार अर्जुनराम पुत्र पांचाराम के बयान पी. डब्लू–2 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नंबर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होने से विरासत नामान्तरकरण संख्या 450 के जरिये वादीगण के नाम दर्ज की गयी। जो वर्तमान में वादीगण के नाम गैर खातेदारी की दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता के नाम गिरदावरी चौसाला 2051–2062 में खातेदारी की दर्ज थी। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम तालरिया की गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059–2062 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 1964/3339 रकबा 75–00 बीघा भंवरलाल पुत्र सेठाराम जाति माली के नाम से खातेदार दर्ज है। लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063 से 2066 में भंवरला पुत्र सेठाराम जाति माली खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्रमा तालरिया के खसरा नम्बर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादीगण का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नंबर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भूमि वर्तमान में वादीगण के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख है। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता भंवरलाल के नाम से आवंटन हुई थी तत्पश्चात गिरदावरी चौसला 2051–2062 में उक्त भूमि खातेदारी की दर्ज है परन्तु गिरदावरी चौसाला 2063–2066 तैयार करते समय वादीगण के पिता भंवरलाल के गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता फौत होने से विरासत नामान्तरकण संख्या 450 के जरिये वादीगण के नाम गैर खातेदारी की दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे कथन किया है।

बाप (फलोदी)

इसी अनुसार वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र नोख तहसील बाप के खसरा नंबर 1964/2 रकबा 48–00 बीघा भूमि में वादीगण को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादीगण के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)